An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Workplace Relations Commission

# आयरलैंड में घरेलू कामगारों के रोजगार के अधिकार

# घरेलू कामगार क्या है?

आयरिश कानून के तहत किसी कामगार को अमूमन ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो रोजगार के किसी अनुबंध[1] के तहत काम करता है। ऐसा अनुबंध व्यक्त अथवा निहित, मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है।

ILO घरेलू कामगार कन्वेंशन, 2011 (ILO Domestic Workers Convention, 2011) (संख्या 189) किसी घरेलू कामगार को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी घर अथवा घरों में या इनके लिए अपने रोजगार के संबंध में घरेलू काम में लगा हुआ हो। जो व्यक्ति केवल कभी-कभी अथवा छिटपुट रूप से घरेलू काम करता है तथा व्यावसायिक आधार पर ऐसा काम नहीं करता, उसे घरेलू कामगार नहीं माना जाता।

घरेलू काम में सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार के बुजुर्ग अथवा बीमार सदस्यों की देखभाल करना, बागवानी, एवं रखरखाव करना, ड्राइविंग तथा घर से संबंधित कोई भी दूसरे काम शामिल हो सकते हैं।

*[1] राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2000 (National Minimum Wage Act 2000)की धारा 2, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रयोजनों से रोजगार के अनुबंध को परिभाषित करती है*

**कई कारणों से घरेलू कार्य क्षेत्र को शोषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है:**

- इसे विदेशी कामगारों द्वारा रोजगार के अवसर के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, तथा यह भाषाई, सांस्कृतिक एवं वैधानिक मुद्दे पैदा कर सकता है।
- निजी घरों में किए जाने वाले घरेलू काम की अलग-थलग प्रकृति, नियोक्ताओं पर निर्भरता पैदा करती है।
- प्राय: घरेलू कामगारों से अन्य कामगारों की तुलना में अधिक घंटे काम करने की अपेक्षा की जाती है।
- इस क्षेत्र में वेतन की दरें अमूमन कम होती हैं।
- इसमें रोजगार के रिकॉर्डों तथा अनुबंधों का अभाव हो सकता है।

सामाजिक भागीदारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आयोग ने, अन्य लोगों के घरों में कार्यरत व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए अभ्यास संहिता (2007) (Code of Practice for Protecting Persons Employed in Other People's Homes (2007)) तैयार की है जिसमें निजी घरों में रोजगाररत व्यक्तियों के अधिकार तय किए गए हैं।

**सारांश रूप में, घरेलू कामगारों के रोजगार के अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- काम शुरू करने के पांच दिनों के भीतर रोजगार के निबंधनों एवं शर्तों का लिखित विवरण अथवा रोजगार का लिखित अनुबंध एवं मूल शर्तों का लिखित विवरण प्राप्त करना
- वेतन का लिखित विवरण (वेतन पर्ची) प्राप्त करना
- कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना
- वार्षिक छुट्टी तथा सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाना
- सप्ताह में औसतन 48 घंटे से अधिक काम न करना
- रविवार को किए गए काम के लिए प्रीमियम प्राप्त करना
- ब्रेक/आराम की अवधि दिया जाना
- बर्खास्तगी से पहले न्यूनतम नोटिस प्राप्त करना
- सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर कार्य माहौल में काम करना
- निजता का तथा निजी अवकाश गतिविधियां करने का अधिकार
- राजस्व एवं सामाजिक संरक्षण विभाग (Revenue and the Department of Social Protection) में कर्मचारी के रूप में पंजीकृत होना
- लिंग, परिवार अथवा नागरिक वैवाहिक स्थिति, आयु, विकलांगता, जाति, यौन रुचि, धर्म अथवा किसी यात्री समुदाय की सदस्यता के कारण भेदभाव न किया जाना
- निजी दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि) नियोक्ताओं के पास न रखे जाएं
- अंशकालिक, नियत अवधि वाले एवं एजेंसी के कर्मचारियों को समान अधिकार
- रोजगार में युवा व्यक्तियों को विशेष संरक्षण
- मातृत्व की पात्रताएं।

नियोक्ताओं द्वारा वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन या तो इरादतन या वैधानिक दायित्वों के ज्ञान के अभाव के कारण हो सकते हैं। फिर भी, ऐसे उल्लंघन कैसे हुए इसकी परवाह किए बिना, उनमें ऐसे अपराध शामिल हो सकते हैं जिनके कारण नियोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है।

## कोई कर्मचारी कितना भुगतान पाने का पात्र है?

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, वैधानिक रूप से प्रति घंटे की निर्धारित न्यूनतम दर है जो कर्मचारियों को अवश्य अदा की जानी चाहिए, तथा यह कर्मचारियों की आयु एवं अनुभव के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। **यह नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को सांविधिक न्यूनतम दर से अधिक दर पर सहमत होने से प्रतिबंधित नहीं करती।**

**सकल वेतन में काम के कुल घंटों से भाग देने पर कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली प्रति घंटे की दर निर्धारित होती है। सकल वेतन में भोजन और/अथवा आवास के भत्ते, जहां किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को प्रदान किए जाते हैं, शामिल हो सकते हैं।**

मौजूदा NMW दरों के लिए (भोजन एवं आवास की दरों सहित) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी - कार्यस्थल संबंध आयोग (National Minimum Wage - Workplace Relations Commission) पर जाएं अथवा नीचे के कोड को स्कैन करें।

# काम के घंटों के संबंध में क्या नियम हैं?

घरेलू कामगारों के लिए अधिकतम औसत कार्य सप्ताह 48 घंटे से अधिक का नहीं हो सकता। यह किसी विशेष कार्य सप्ताह को 48 घंटे तक सीमित नहीं करता। फिर भी, जब 4 से अधिक महीनों का औसत निकाला जाए, तब काम के साप्ताहिक घंटे 48 घंटे से अधिक बिल्कुल नहीं होने चाहिए।

रविवार को किए गए काम के घंटों के लिए प्रीमियम देय होता है। यदि इसे वेतन की दर में शामिल नहीं किया जाता, तो किसी नियोक्ता को रविवार के काम के बदले निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक अवश्य देना चाहिए: कोई भत्ता, रविवार को किए गए काम के घंटों के लिए वेतन वृद्धि अथवा सवैतनिक छुट्टी।

4½ घंटे की कार्य अवधि के बाद कर्मचारी 15 मिनट के ब्रेक का तथा 6 घंटे से अधिक काम करने पर 30 मिनट के ब्रेक का पात्र होता है जिसमें 15 मिनट का पहला ब्रेक शामिल हो सकता है। इन ब्रेकों के लिए भुगतान नहीं करना होता, तथा ये काम के समय के भाग नहीं होते।

# किसी नियोक्ता को कौन से रिकॉर्ड अवश्य रखने चाहिए?

सभी नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत रिकॉर्ड रखने जरूरी हैं। नियोक्ता को ये रिकॉर्ड 3 साल तक अवश्य रखने चाहिए। ऐसे रिकॉर्डों को रखने में विफल रहना अपराध है तथा इसके कारण मुकदमा चलाया जा सकता है:

- राजस्व आयुक्तों (Revenue Commissioners) के यहाँ नियोक्ता की पंजीकरण संख्या
- कर्मचारियों के नाम, पते तथा PPS नंबर
- रोजगार के प्रारंभ/समाप्ति की तारीखें
- रोजगार/अनुबंध के लिखित निबंधन तथा मूल शर्तों का लिखित विवरण
- ली गई वार्षिक छुट्टी तथा सार्वजनिक अवकाशों के रिकॉर्ड
- काम के घंटे (शुरू करने तथा खत्म करने के समय समेत)
- पेरोल के ब्यौरे तथा भुगतान पर्ची
- 18 साल से कम आयु के किसी भी कर्मचारी का रजिस्टर
- प्रदान किए गए किसी भी भोजन एवं आवास के ब्यौरे

कार्यस्थल संबंध आयोग (Workplace Relations Commission) के किसी निरीक्षक (Inspector) द्वारा जांच के मामले में इन रिकॉर्डों की जरूरत हो सकती है।

# शिकायतें

रोजगार के अधिकारों एवं समानता के संबंध में शिकायतें, कार्यस्थल संबंध आयोग के समक्ष की जानी चाहिए। शिकायतों के फलस्वरूप किसी न्यायनिर्णायक (Adjudicator) द्वारा सुनवाई अथवा कार्यस्थल संबंध आयोग (WRC) के किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

कार्यस्थल में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों से संबंधित शिकायतें, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण (Health and Safety Authority) को की जानी चाहिए।

# प्राय: पूछे जाने वाला प्रश्न

## कोई व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, यदि इस बात को लेकर अनिश्चितता हो, तो क्या होगा?

कोई व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, यह प्रश्न अमूमन रोजगार के मौजूदा कानून तथा स्थापित अनुबंध कानून के प्रावधानों के संदर्भ में तय किया जाता है। "Au Pair" जैसे पदनामों का इस्तेमाल या सहमति देने वाले पक्षों के बीच व्यवस्थाओं के अन्य ब्यौरों का अर्थ यह नहीं है कि कोई रोजगार अनुबंध मौजूद नहीं है। भुगतान की एवज में किसी अन्य व्यक्ति के किसी कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति, किसी संविदात्मक संबंध की मौजूदगी का पुरजोर रूप से सुझाव देगा।

यदि इस बारे में कोई प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति कर्मचारी है अथवा स्व-नियोजित है, तो 'रोजगार की स्थिति निर्धारित करने के लिए अभ्यास संहिता' में मार्गदर्शन उपलब्ध है।

## यदि मैं अपने कर्मचारी को हर सप्ताह €150 का भुगतान करता हूँ, तो वह कितने घंटे काम कर सकता है?

कोई कर्मचारी सांविधिक न्यूनतम दर पर अधिकतम कितने घंटे काम कर सकता है, इसकी गणना करने तथा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (National Minimum Wage Act) का अनुपालन करते रहने के लिए, सकल मजदूरी तथा भोजन और/या आवास के उपयुक्त भत्ते में कर्मचारी की समुचित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर से भाग दिया जाना चाहिए। काम के घंटों का रिकॉर्ड रखना नियोक्ताओं का कानूनी दायित्व है।

इस तालिका में उल्लिखित घंटों से अधिक कार्य कराने से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (National Minimum Wage Act) का उल्लंघन होगा।

## अपनी स्थिति के बारे में मैं किसी से बात करना चाहूँगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे नियोक्ता को इसका पता लगे?

कार्यस्थल संबंध आयोग (Workplace Relations Commission) (WRC) के निरीक्षक घरेलू कामगारों की किसी भी शिकायत पर गोपनीय रूप से तथा, यदि जरूरी हो, तो गुमनाम आधार पर चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसमें कर्मचारी को अपने नियोक्ता को अपनी पहचान बतानी होगी, केवल कर्मचारियों की सहमति से ही की जाएगी। कर्मचारी WRC से 0818 80 80 90 पर संपर्क कर सकते हैं या inspection@workplacerelations.ie पर ईमेल कर सकते हैं।

## अन्य उपयोगी संपर्कों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

नागरिकों की जानकारी, जिसके कार्यालय पूरे देश में हैं, सार्वजनिक सेवाओं तथा हकदारियों के बारे में सूचना प्रदान करता है, उससे टेलीफोन से 0818 07 4000 पर (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक) अथवा www.citizensinformation.ie/en/ पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्रेड यूनियनों की आयरिश कांग्रेस (Irish Congress of Trade Unions) के पास घरेलू कामगारों के लिए बेहतर अधिकारों के लिए अभियान है, तथा उससे टेलीफोन से 01 889 77 77 पर अथवा www.ictu.ie पर संपर्क किया जा सकता है।

आयरलैंड का प्रवासी अधिकार केंद्र (Migrant Rights Centre of Ireland) (083 0755 387 या info@mrci.ie) जैसे प्रवासी कामगार संगठन, जो सूचना एवं सहायता प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं।

# संपर्क के ब्यौरे

## कार्यस्थल संबंध आयोग (Workplace Relations Commission)

www.workplacerelations.ie
टेलीफोन: 0818 80 80 90
विदेश से कॉल करने वाले व्यक्तियों (Overseas callers) को +353 59 917 8990 पर कॉल करना चाहिए

## स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण (Health and Safety Authority)

www.hsa.ie
टेलीफोन: 0818 289 389 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच)
ईमेल: contactus@hsa.ie
विदेश से कॉल करने वाले व्यक्तियों (Overseas callers) को +353 1 614 7000 पर कॉल करना चाहिए

पिछला अपडेट – फरवरी 2023